



13/8/2018

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित।
 वकील श्री पी. सी. शर्मा द्वारा रेषे की ओर
 से अधिकतर पत्र प्रस्तुत किए। वकील अपीलान्त
 द्वारा प्रार्थना पत्र वाले अपील विद्वां करने का
 प्रस्ताव किया। वकील रेषे. द्वारा कोई अपील
 प्रस्तुत नहीं की गई। नुकी वकील अपीलान्त द्वारा
 प्रस्तावित के, 'मध्य यजीवामा' होने से अपील इसी
 स्तर पर विद्वां करने का निवेदन किया है जिस पर वकील
 रेषे. की कोई अपील नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किया जा रहा है। अपील अपीलान्त इसी
 स्तर पर खारिज की जाती है।

अतः पत्रावली जैसन शुमार हो नमन के
 काम हो।

K. S. S. S.

P. C. S. S.